वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 232/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-02.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 02.07.2025 को ***थाना मेंहनाजपुर पुलिस द्वारा पैसा गबन करने के नाम पर लूट की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल व 03 कूटरचित आधार कार्ड बरामद किया गया।***

थाना –मेंहनाजपुरः पैसा गबन करने के नाम पर लूट की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार , 01 मोटरसाइकिल व 03 कूटरचित आधार कार्ड बरामद।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 29.06.2025 को आवेदक हकीम S/O मो0 सर्फराज निवासी रोवाँपार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ने तहरीर दिया कि मेरा ग्राहक सेवा केन्द्र इण्डियन बैंक इटैली बाजार मे स्थित है। मैने अपने ग्राहक सेवा केन्द्र पर जावेद S/O कुद्दुश ग्रा0 दरियापुर नेवादा एवं ममेरे भाई आफताब S/O रियाज ग्रा0 रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ को रखा है मै अपना ग्राहक सेवा केन्द्र देख रेख हेतु उपरोक्त दोनो को सुपुर्द कर दिनांक 28/06/2025 को समय करीब 15.30 बजे आवश्यक कार्य हेतु मऊ चला गया था यह लोग समय 19.52 बजे सहाबुद्दीन S/O असगर अली ग्रा0 रोवाँपार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ के साथ हमारी मोटर साइकिल NO UP50AWXXX XTREAM पर सवार होकर एक लाख नब्बे हजार ग्राहक सेवा केन्द्र का पैसा एवं चेकबुक एक बैग मे रखकर उसे लेकर अपने साथ घर जा रहे थे कि समय करीब 19.56 बजे शाम रोवाँपार मे स्थित कूबा पी.जी. कालेज के पास तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात एक मोटर साईकिल से आये और इन लोगो की गाडी को ओवरटेक किये जिससे इन लोगो की गाडी गिर पडी तीनो आज्ञात व्यक्तियो ने इन लोगो को धमकी देते हुए जो पैसा वाला बैग जावेद लिया था उसे लूटकर वहा से चले गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2025 धारा 309(4)/351(3) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ वादी मुकदमा हकीम S/O मो0 सर्फराज निवासी रोवाँपार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ बनाम एक मोटर साईकिल से तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)/351(3) बीएनएस का लोप किया जाता है एवं धारा 318(4)/316(2) बीएनएस मे तरमीम किया जाता है तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए 1. जावेद उर्फ शाहिद पुत्र कुद्दुश निवासी दरियापुर नेवादा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 2. आफताब हाशमी पुत्र रियाज निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ,3. सहाबुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी रोवापर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ व कुछ अज्ञात व्यक्ति का नाम प्रकाश में लाया जाता है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 02.07.2025 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार व उ0नि0 सादाब खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. जावेद उर्फ शाहिद पुत्र कुद्दुश निवासी दरियापुर नेवादा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 2. आफताब हाशमी पुत्र रियाज निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ,3. सहाबुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी रोवापर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ को गाधी इण्टर कालेज के पास नहर का रास्ते के पास से समय करीब 10.40 बजे को हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अपराध का तरीका:- पैसा धोखाधड़ी गबन कर देने तथा घटना को लूट का रूप देने के सम्बन्ध में ।

पंजीकृत अभियोग–

1- मु0अ0स0 72/2025 धारा 309(4)/351(3)बीएनएस तरमीम धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जावेद उर्फ शाहिद पुत्र कुद्दुश निवासी दरियापुर नेवादा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ
2. आफताब हाशमी पुत्र रियाज निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ,
3. सहाबुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी रोवापर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

बरामदगीः

1-एक अदद मोटर साईकिल स्पेलेण्डर प्लस रंग काला व तीन अदद कुटरचित आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. उ0नि0 सादाब खान थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
3.हे0का0 हरिशंकर यादव थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
4.हे0क0 राजकुमार यादव थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
5.का0 आनन्द मौर्या थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़